

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY



भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 583] नई दिल्ली, शनिवार, विसम्बर 30, 1978/पौष 9, 1900
No. 583] NEW DELHI, SATURDAY DECEMBER 30, 1978/PAUSA 9, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1978

का. आ. 752(अ).—स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना सं.
पी. 15011/34/76-पी. एच. (पी. एण्ड एन.) (2), तारीख 8 फरवरी, 1978 में, जो
का. आ. सं. 81(अ) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खंड 3, उपखंड (2)
पृष्ठ 175-176 पर तारीख 8 फरवरी, 1978 को प्रकाशित हुई हैं, आंशिक उपान्तरण
करते हुए, और खाद्य अपशिष्ट निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 2
के खंड (4) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान

में वैज्ञानिक, श्री के. वी. नागराज को, एक जनवरी, 1979 से, केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर के निदेशक के सभी कृत्यों या किसी कृत्य का पालन करने के लिए नियुक्त करती हैं।

[सं. पी. 15011/34/76-पी. एच. (पी. एण्ड एन.) (2)]

नरेन्द्र नाथ वोहरा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 1978

S.O. 752(E).—In partial modification of the Ministry of Health and Family Welfare Notification No. P. 15011/34/76-PH(F&N) (II), dated the 8th February, 1978 published in Part II—Section 3—sub-section (ii) of the Gazette of India Extraordinary under S.O. 81(E) dated the 8th February, 1978 on pages 175 to 176 and in pursuance of clause (iv) of section 2 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), the Central Government hereby appoints Shri K. V. Nagaraja, Scientist, Central Food Technological Research Institute to perform all or any of the functions of the Director of the Central Food Laboratory, Mysore, with effect from 1st January, 1979.

[No. P. 15011/34/76-PH(F&N)(II)]

N. N. VOHRA, Jt. Secy.